कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 29/04/2021

कोविड-19 महामारी के दौरान कतिपय वाहन चालकों (यथा एम्बुलेन्स, शव वाहन, ई-रिक्शा, आटो रिक्शा एवं अन्य वाहन) द्वारा अनुचित/व्यक्तिगत लाभ लेने के लिये आम जनमानस/पीड़ित व्यक्ति से निर्धारित किराये से अधिक किराये की मांग किया जा रहा है। यदि कोई वाहन चालक निर्धारित किराये से अधिक किराये की मांग करता है तो तत्काल सम्बन्धित वाहन स्वामी/चालक की शिकायत पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के यातायात हेल्प लाईन नम्बर पर करें।

यातायात हेल्प लाईन नम्बर - 7317202020

प्रेस/मीडिया के माध्यम से मैं अपर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरेट वाराणसी एम्बुलेन्स, शव वाहन/परमिट शुदा आटो रिक्शा/ई-रिक्शा स्वामियों/चालकों से अपेक्षा करता हूँ किसी भी दशा में आमजनमानस से मानक से अधिक किराया न वसूला जाय, साथ ही साथ यातायात नियमों का पालन करते हुए अपने वाहनों को संचालित करें तथा यातायात पुलिस का सुगम यातायात संचालन कराने में सहयोग प्रदान करें।

नोटः-किसी भी प्रकार के यातायत सम्बन्धित अन्य समस्या होने पर यातायात निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9454402409 पर काल करें।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।